

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 फरवरी 2015—फाल्गुन 6, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्र. डी-15-1-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्य भारत शासन, खाद्य एवं व्यापार विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 145/13, इन्दौर, दिनांक 09 जून 1953 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति, मनावर के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उपमण्डी प्रांगण घोषित करती है:—

स्थान

ग्राम पंचायत सिंघाना, तहसील मनावर, जिला धार के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.200 हेक्टर भूमि का क्षेत्र :—

क्रमांक	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	543/1/2 में से	2.200
		योग . . 2.200

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—सिंघाना-मनावर रोड.  
दक्षिण में—शासकीय भूमि.  
पूर्व में—शासकीय भूमि.  
पश्चिम में—आवासीय भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्र. डी-15-1-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 25th February 2015

No. D-15-1-2015-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following place including all structures, enclosure, open places or locality in the market area of Krishi Upaj Mandi, Manawar established vide Government of Madhya Bharat, Food and Commerce Department's Notification No. 145/13, Indore, dated 09th June 1953 shall be sub-market yard namely.

PLACE

An area of 2.200 Hectore's land of below mentioned Khasra number at Gram Panchayat Singhana in Tehsil Manawar of District Dhar.

S. No.	Khasra No.	Area (In Hector)
1	From 543/1/2	2.200
		Total . . 2.200

BOUNDED BY

**On the North by**—Singhana-Manawar Road.

**On the South by**—Govt. Land.

**On the East by**—Govt. Land

**On the West by**—Residencial Land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्र. डी-15-1-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक / /2015 के द्वारा घोषित मण्डी प्रांगण के संबंध में मण्डी समिति मनावर, जिला धार के निम्नलिखित क्षेत्र को मण्डी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत सिंघाना, तहसील मनावर, जिला धार की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) उपमण्डी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—
  - (1) भैसावद, (2)दसवी, (3) रणतलाव, (4) अजन्या, (5) झापड़ी, (6) गुराड़िया, (7) ब्राम्हणपुरी, (8) सिंघाना, (9) बेरूद, (10) मेहताखेड़ी, (11) खुमानपुरा, (12) करोंदियाखुर्द, (13) कुण्डी, (14) कोसवाड़ा, (15) साला, (16) पीपलटोक, (17) मांडवी, (18) बुदियाखेड़ी, (19) पलासी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्र. डी-15-1-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक / / 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 25th February 2015

No. D-15-1-2015-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this Department's Notification even Number, dated / /2015 the following area of Singhana of District Dhar shall be sub-market area:—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Singhana in Tehsil Manawar of District Dhar.
- (2) An area comprising of the following Villages within the radius of 5 Kilometers from the sub-market yard namely:—
  - (1) Bhaisavad, (2) Dasvi, (3) Rantalav, (4) Ajanya, (5) Jhapadi, (6) Guradiya, (7) Brahmanpuri, (8) Singhana, (9) Beroud, (10) Mehetakhedi, (11) Khumanpura, (12) Karodiyakhurd, (13) Kundi, (14) Koswada, (15) Shala, (16) Pipaltok, (17) Mandvi, (18) Budiyakhedi, (19) Palasi.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.